

26/11/2023
 वकील पत्रकारिता दायित्व वकील प्रवर्गी को
 अजायबिक का नज्वा बला पेश करने एवं ऐव
 तलवी अजायबिक हेतु पूर्व में कई अवसर
 दिए जा चुके हैं। और अवसर दिया जाना
 इमित्त जतील नहीं होता है। कुछ पूर्व में
 अजायबिक के नोटिस अदालत लामील उपलब्ध हुए
 थे तथा प्रवर्गी अजायबिक के तलवी न
 कल्या पाने का कई ठीस काम न्यायालय
 के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।
 अतः प्रवर्गी - पर प्रवर्गी अजायबिक निमित्त
 सीपीसी के प्रापद्योग अन्तर्गत आरिज किया
 जाता है। परावली में तलवी में शुद्ध होकर
 मूल वाद संलग्न रहे।



उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर